

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के
अन्तर्गत सिमली शेलेश्वर मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 625 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।


15/06/16
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
कर्णप्रयाग


जिला अधिकारी
चमोली